भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 961

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी

961. **श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः**
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में आज की तिथि तक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सभी पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र में पीएम-जेएवाई के अंतर्गत इलाज से इनकार करने, अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड अस्वीकार करने या दावा निपटान में देरी से संबंधित किसी भी मुद्दे की जानकारी है;
(घ) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) उक्त राज्य में पीएम-जेएवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है;
(च) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े जिलों में पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान की है;
(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता, अवसंरचना और पैनलबद्ध अस्पतालों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ज) क्या किसी अस्पताल को योजना के अंतर्गत गैर-अनुपालन, धोखाधड़ी या मरीजों का इलाज करने से इनकार करने के लिए काली-सूची में डाला गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) क्या सरकार पीएम-जेएवाई अवसंरचना के अंतर्गत उक्त राज्य में शिकायत निवारण और धोखाधड़ी निगरानी तंत्र को मजबूत करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो ऐसी प्रणालियों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की 40% आबादी को कवर करते हुए 12 करोड़ परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

आदिनांक, महाराष्ट्र राज्य में लाभार्थियों के लिए 3.17 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस संबंध में, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएचए) के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जाता है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, महाराष्ट्र से प्राप्त नवीनतम लाभार्थी संबंधी आकड़ें एनआईसी, दिल्ली के साथ साझा किए जाते हैं और इन्हें दिनांक 09.07.2025 को बीआईएस पोर्टल में सफलतापूर्वक डाला गया है। इनके अद्यतनीकरण के बाद, लाभार्थी डेटाबेस को आगे उपयोग के लिए रिफ्रेश किया जाता है। प्रगति की निगरानी और नियमित आधार पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फील्ड लेवल वर्कर्स (एफएलडब्ल्यू) की ई-केवाईसी निष्पादन रिपोर्ट नियमित आधार पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों के साथ साझा की जाती है।

(ग) और (घ): पैनलबद्धता की निबंधन और शर्तों के अनुसार, अस्पताल योजना के पात्र लाभार्थियों को उपचार देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। पैनलबद्ध अस्पतालों को योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का निदान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियाँ हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र (एसएचए) आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत शिकायत की प्रकृति के आधार पर उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ङ): आदिनांक पूरे महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 1,698 अस्पतालों जिनमें से 1,176 निजी अस्पताल हैं, को पैनलबद्ध किया गया है।

(च) और (छ): एबी-पीएमजेएवाई के पास ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लाभार्थियों को उनके अधिकारों और पात्रता के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल प्रदर्शनों, रेडियो अभियानों, जनसंदेश और दूरदर्शन आदि के माध्यम से लाभार्थियों के साक्षात बखानों के प्रसारण जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, जैसे आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) जो जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, के व्यापक नेटवर्क को भी शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्यों को योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी कार्यकलाप करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 355 तालुकाओं में कम से कम एक अस्पताल पैनलबद्ध है।

(ज): उपर्युक्त (ग) और (घ) के अनुसार।

(झ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफ़ॉर्म में अंतर्निहित धोखाधड़ी-रोधी सुविधाएँ शामिल हैं। ये उपकरण धोखाधड़ी संबंधी कार्यकलापों की वास्तविक निगरानी और पता लगाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। एनएचए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुदृढ़ वास्तविक डैशबोर्ड निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

******